न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भ

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जुरहरा

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव **R.A.S.**

मुकदमा नं0. 144/2017 राजस्व वाद

1- विजयसिंह पुत्र श्री रामचन्द

2- कमलेश पत्नि रामधन

3- द्रोपदी पत्नि नन्नू जाति गूजर निवासी ग्राम पाई तहसील कामां जिला भरत

बनाम

1- ग्राम पंचायत जुरहरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जुरहरा

2- तहसीलदार तहसील कामां

— प्रति

दावा अन्तर्गत धारा 18

निर्णय

दिनांक 18

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा, 188 इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 2996/0.67, 2788/0.23, 2989/ 2786/1.24, 2787/0.36 वाके ग्राम जरहरा द्वितीय तहसील कामां की आराजी नम्ब एक व वादीनम्बर दो खसरा नम्बर 2788, 2789 की तथा वादीगण नम्बर तीन खसर जरहरा की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा अपनी अपनी आराजी पर वहैसियत काश्तकार काबिज काश्त है इस वक्त आराजी में फसल बो रखी है जो सरसाब्ज वादीगण की उक्त आराजी के सहारे ही खसरा नम्बर 2784/0.72, 2795/1.77 गै रास्ता स्थित है । उक्त रास्ता का उपयोग वादीगण व अन्य सभी खातेदारान आने रास्ते के रूप में शुरू करते रहे हैं और मौके पर रास्ता के रूप में उपयोग ले रहे है राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादी नं. 1 का वादीगण की खातेदारी की आराजी व ख0नं0 2784, 2795 से को किसी प्रकार का नहीं है लेकिन फिर भी प्रतिवादी नम्बर एक मनमाने तरीके से जबर मुकि खसरा नम्बर 2784 व 2795 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में वादीगण की खाते आराजी मुतनाजा को दबाते हुए पोखर निर्माण करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादी करने का कोई कोई कानूनन अधिकार नहीं है प्रतिवादी नंबर एक से जब इस बावत तो प्रतिवादी नम्बर ने दिनांक 13.12.2017 को ऐलानिया धमकी दी कि मैं ग्राम पंचाय जुरहरा का सरपंच हूं और सरकारी रास्ता को बन्द करके रहूंगा यदि प्रतिवादीगण अ धमकी में कामयाव हो गया तो वादीगण व अन्य खातेदारान को अपरमित क्षति होगी पूर्ति जरै नकद से कदापि सम्भव न हो सकेगी । प्रतिवादीगण को जरिये डिकी हुक

इन्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी नम्बर एक वादीगण
मुनाजा को दबाते हुए खसरा नम्बर 2784, 2795 वाके ग्राम जुरहरा द्विती
रास्ता सरकारी भूमि में अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की पो
निर्माण न करें । रास्ता आम की भूमि पर अतिक्रमण न करें । रास्ता आम
बाधा उत्पन्न पैदा न करें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हकूक वादी
बिना वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादी को बिकी हुक्म इन्तनाई दबामी से पाबन्
अधिकारी है ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्र
सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित अदालत आये। आज राजस्व
नोटिस जारी किये गये उपस्थितं आये । मौखिक जबाव पेश किया कि ज
पंचायत जुरहरा मे सरकारी आराजी में पोखर का निर्माण करा रहें । लेकि
मद्दनजर रखते हुए पोखर निर्माण वहां से हटा कर अन्य किसी स्थान पर
किया गया है । हम उस स्थान पर पोखर निर्माण नहीं कर रहें । पत्रावल
किया गया । उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । प्रकरण अन्तर्गत धारा
का है । तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि मे कि आराजी ख0नं0 29
2788/0.23, 2989/0.25, 2785/0.24, 2787/0.36 वाके ग्राम जरहरा
कामां पर वादीगण काबिज रहे । विवादित खसरा नम्बर 2784/0.72, 2
मुमकिन रास्ता स्थित है के पैमायश कर सीमाकंन करावे तथा वादीगण
कि अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर काश्त करना उचित समझ

अतः आदेश है कि –

वाद वादीगण का डिकी किया जाता है कि तहसीलदार
उपस्थिति में विवादित आराजी ख0नं0 2996/0.67, 2788/0.23, 2989
2787/0.36 वाके ग्राम जरहरा द्वितीय तहसील कामां में विवादित खसर
2795/1.77 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है की पैमायश कर सीमाकंन
को हिदायत दी जावे कि अपनी अपनी आराजी पर काबिज रह कर का
की डिकी तैयार कर तहसीलदार कामां को भेजा जावे । प्रकरण फैसल
कन जी होकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(स
सह
उपख

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

अधिकारी :– सुरेश कुमार चौधरी RAS

उनवान

15 किशनलाल ..... बनाम ..... राज्य सरकार

बाबत 180 R T Act

नम्बर :– 164/1

दिनांक :– 22/6/18

वादी की ओर से ..... स्वयं ..... की व प्रतिवादी की ओर

उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22/6/18 को सुरेश कुमार चौ

अधिकारी/सहायक कलक्टर ..... कोटा ..... के समक्ष अन्तिम

किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

[illegible]

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 22/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय

(

हस्ताक्षर सदस्य बैंच	हस्ताक्षर सदस्य बैंच	उपख सह

वाद के खर्चे

वादी		प्रति
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
अर्जी के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प
..... रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस
साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	2	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय
कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस
आदेशिका की तामील		आदेशिका की तामील
जोड	4	जोड

हस्ताक्ष

2989/0·25, 2785/0·24, 2787/0·36 व कि ग्रा

तह0 कामां में स्थित है । सबूत में नकल जमाबन्दी